

डीडी/आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस स्थानान्तरण के लिए आवेदन एवं डेबिट प्राधिकरण फॉर्म

 ग्राहक गैर ग्राहक

तारीख: | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

भुगतान प्रकार (कृपया उपयुक्त प्रकार पर निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> आरटीजीएस* <input type="checkbox"/> एनईएफटी <input type="checkbox"/> आईएमपीएस** <input type="checkbox"/> डीडी*** <input type="checkbox"/> भारत नेपाल प्रेषण**** (कृपया अतिरिक्त विवरण प्रदान करें)
	*प्रति आरटीजीएस लेनदेन न्यूनतम मूल्य ₹२ लाख है **प्रति आईएमपीएस लेनदेन न्यूनतम मूल्य ₹२ लाख है ***नकद डीडी का अधिकतम मूल्य कमीशन सहित ₹५०,००० से कम होना चाहिए ****राशि कमीशन सहित ₹५०,००० से अधिक नहीं होनी चाहिए

मेरा/हमारा विवरण:

खाताधारक/गैर-ग्राहक का नाम: _____

डेबिट खाता सं: _____

 मैंने पहले ही बैंक के साथ अपना एलईआई अपडेट कर दिया है मैंने अपना एलईआई बैंक में अपडेट नहीं किया है

^ कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई): _____

 नकद चेक सं: _____

गैर-ग्राहक का मोबाइल नंबर: _____

गैर-ग्राहक की ई-मेल आईडी: _____

डीडी के लिए हस्तांतरण प्राधिकरण

जिसके हस्ताक्षर इसके साथ साक्ष्यकित हैं, कृपया डीडी उस धारक को सौंप दें:

धारक के हस्ताक्षर _____ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता _____

हम पुष्टि करते हैं कि हमने पीछे की तरफ लिखे नियम और शर्तों को पढ़ लिया है.

लाभार्थी विवरण:

लाभार्थी का नाम: _____

^लाभार्थी खाता सं: _____

^खाता संख्या की पुनः पुष्टि करें: _____

^ कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई): _____

^लाभार्थी के बैंक का नाम और शाखा: _____

^लाभार्थी आईएफएससी कोड: _____

^डीडी यहां देय है: _____

राशि (₹) (आंकड़ों में) _____

रुपये (₹) शब्दों में: _____

^डीडी के लिए जरूरी नहीं है. **आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस स्थानान्तरण के लिए जरूरी नहीं है.

^५० करोड़ और उससे अधिक के लेनदेन की प्रक्रिया के लिए संस्थाओं के लिए अनिवार्य. १ अप्रैल, २०२१ से लागू.

अप्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/मुहर

ग्राहक पावती फॉर्म

भुगतान का प्रकार (कृपया उपयुक्त प्रकार पर निशान लगाएं) आरटीजीएस एनईएफटी डीडी आईएमपीएस भारत नेपाल प्रेषण नकद चेक सं: _____ तारीख: | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | समय: | H | H | M | M |

राशि (₹) (आंकड़ों में): _____

नकद डीडी के लिए कमीशन (₹) (आंकड़ों में): _____

कुल राशि (₹) (आंकड़ों में): _____

ईसीएन संख्या, हस्ताक्षर और शाखा मुहर

केवल भारत नेपाल प्रेषण के मामले में भरा जाना है:

लाभार्थी का पता: _____

लाभार्थी कि नागरिकता/पैन/पासपोर्ट संख्या: _____

लाभार्थी का मोबाइल/लैंडलाइन नंबर: _____

केवल बैंक के उपयोग के लिए

हस्ताक्षर इनके द्वारा सत्यापित: _____

द्वारा लॉग किया गया: _____

द्वारा समीक्षित: _____

द्वारा अधिकृत: _____

बैंक कि जावक संदर्भ संख्या: _____

गैर-ग्राहक के लिए एकत्रित केवाईसी:

पहचान प्रमाण: _____

पते का प्रमाण: _____

नियम और शर्तें

- प्रेषण करने वाला बैंक किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो ट्रांसमिशन डिलीवरी में देरी या इलेक्ट्रॉनिक संदेश की गैर-डिलीवरी या किसी भी गलती, चूक, या ट्रांसमिशन या डिलीवरी में त्रुटि या किसी भी कारण से या किसी भी कारण से संदेश को समझने के लिए या इसकी गलत व्याख्या या गंतव्य बैंक की कार्रवाई या आवेदन में प्रदान किए गए विवरणों की किसी गलती या निर्योग्य से परे कोई कार्य या घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
- सभी भुगतान निर्देशों की प्रेषक द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए. ग्राहक सहमत हैं कि फंड ट्रांसफर के पूरा होने में देरी या भुगतान आदेश के अनुसार फंड ट्रांसफर के निष्पादन में त्रुटि के कारण किसी भी नुकसान की स्थिति में, बैंक के किसी भी कर्मचारी की ओर से देय त्रुटि, लापरवाही या धोखाधड़ी होने पर बैंक का दायित्व विलंबित भुगतान और/या वापसी की तिथि तक बैंक दर पर ब्याज सहित राशि की वापसी के मामले में विलंब की किसी भी अवधि के लिए बैंक दर पर ब्याज के भुगतान की सीमा तक सीमित होगा. सुरक्षा प्रक्रिया और प्राकृतिक आपदाओं में तकनीकी कारणों सहित, अपने नियंत्रण से परे, किसी भी कारण से प्रेषण के गैर-निष्पादन के लिए बैंक कोई दायित्व नहीं मानता है.
- कट-ऑफ समय के बाद प्राप्त आरटीजीएस ट्रांसफर अनुरोध को, कट-ऑफ समय और उपलब्धता के अधीन, तैजी से लेनदेन प्रसंस्करण को सक्षम करने के लिए एनईएफटी के माध्यम से संसाधित किया जाएगा.
- ग्राहक सहमत हैं कि भुगतान आदेश अपरिवर्तनीय हो जाता है और ग्राहक बैंक द्वारा निष्पादित किसी भी भुगतान आदेश द्वारा सद्भावपूर्वक और बैंक द्वारा पालन की जाने वाली सुरक्षा प्रक्रिया के अनुपालन में बाध्य होगा.
- ग्राहक एतद्वारा बैंक को किसी भी दायित्व के लिए या ग्राहक द्वारा जारी किए गए किसी भी भुगतान आदेश के निष्पादन के लिए ग्राहक के खाते को डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है और प्रेषण के निष्पादन के लिए खाते में निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, हालांकि, यदि बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने पर भुगतान आदेश निष्पादित करता है, तो ग्राहक बैंक को देय शुल्क और ब्याज के साथ-साथ प्रेषण के लिए ग्राहक के खाते से डेबिट की गई राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.
- आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस क्रेडिट केवल प्रदान किए गए लाभार्थी खाता संख्या के आधार पर निष्पादित किए जाएंगे. क्रेडिट निर्देशों को संसाधित करने के लिए लाभार्थी के नाम को मान्य नहीं किया जाएगा.
- मैं/हम ईडब्ल्यू बैंक को डीडी जारी करने या फॉर्म में जल्लिखित विवरण के अनुसार राशि भेजने के लिए, मेरे/हमारे खाते को जल्लिखित राशि के लिए डेबिट करके अधिकृत करता/करते हूँ/हैं, मैं/हम समझते हैं कि डीडी जारी करने के लिए संबद्ध शुल्क मेरे/हमारे खाते से डेबिट किए जाएंगे.